अन्तर्गत.....किस्म.....दी० 212.....मुकदमा न0.....78/19.....मुन्डावर, जिला अलवर

पत्रावली.....दलीपसिंह v/s बलवन्त वगैरा.....दिनांक.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/19	आज पत्रावली पेश हुई। बशुलाल उर्फ आर्य वगैरा के वकील द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रस्तुत तत्कालिक कार्यवाही के बाबत के अलावा के निर्णय तक पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश को तत्काल समाप्त किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अभावीजित के द्वारा वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए उनके जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन किया। बशुलाल उर्फ पदमलाल की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस ध्यान पूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली पेश पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन उपरान्त यह न्यायोचित प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। आदेश अतः पूर्व दिनांक 21-5-2019 के जारी अन्तरिम आदेश को तत्काल कार्यवाही के बाबत विचाराधीन वाद के निर्णय तक तामील दावा समन्स की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से अलग की जाए। वकील सलाम मूल दावा रहे। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.02.28 17:09:39 IST
Reason: SelfAttested